## प्रेस विज्ञप्ति

## जल विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनाँक 30.11.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकार(एम), विशेष कार्याधिकारी(ए), उप महाप्रबन्धक (जल) एवं वरि0 प्रबन्धक, जलखण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं जल बाह्य संस्था के साथ कृत कार्यों की अद्यतन स्थिति/निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक आहुत की गयी। बैठक में विचारोपरान्त वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर पुनः टाईम लाईन के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। विवरण निम्नवत है :–

- नौएडा में स्थापित रैनीवेलों में पानी की उपलब्धता में सुधार हेतु प्रगतिरत अनुबन्ध के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा प्रगति में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में 03 नग रैनीवेलों (सं0–2, 3 एवं 6) हेतु जा निविदाये आमंत्राण की प्रक्रिया में है उनको समयवत अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये तथा शेष 03 नग रैनीवेलों (सं0–1, 4 एवं 5) हेतु आगणन एवं जाँच सम्बन्धी सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये 15 दिसम्बर तक निविदायें आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में वाटर मीटर हेतु प्रगतिरत अनुबंध के सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक अनुबंध के अन्तर्गत प्रावधानित सभी वाटर मीटरों की स्थापना का कार्य एंव इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.12.2022 तक सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर एजेन्सी के विरूद्ध Heavy Penalty लगाने हेतु निर्देशित किया।
- वर्तमान में कोण्डली ड्रेन के अन्तर्गत तैयार हो चुके वेटलैण्ड हेतु Up Stream/Down Stream में आनलाईन मानिटरींग सिस्टम LED Display Board के साथ कंन्ट्रोल रूम सहित स्थापित करने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये। यह कार्य तत्समय गठित MoU के माध्यम से 31 दिसम्बर 2022 तक करने हेतु निर्देशित किया गया। अन्य दो निर्माणाधीन In-situ Wetland का निर्माण 31 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- जल विभाग द्वारा नये सैक्टरों 145, 146, 164 में जल/सीवर के समस्त कार्यों को उपलब्ध भूमि पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये त्वरित स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सैक्टर–161 व 162 के जल/सीवर कार्यों हेतु दिनांक 15.12.2022 तक निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जल–राजस्व की देयता हेतु सम्बन्धित उपभोक्ता को Online के माध्यम से जमा कराने हेतु प्रोत्साहित कराने के निर्देश दिये गये एवं जल विभाग द्वारा भुगतान हेतु Paytm एवं SMS/Mail Alert हेतु App बनाकर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक उपभोक्ताओं को सुविधायें प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जल खण्ड–प्रथम को 07 नग अक्रियाशील नलकूपों को माह जनवरी तक क्रियाशील कराने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसा न होने की दशा में सम्बन्धित जलखण्ड को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये।
- नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों पर मा0 एन0जी0टी0 के दिशा–निर्देशों के क्रम में TTP हेतु प्रगतिरत प्रस्तावों के टेंडर खण्डीय स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुये दिनांक 12.12.2022 तक आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन प्लाण्टों का संचालन विगत 10–12 वर्षों से लगातार किया जा रहा है उनपर स्थापित उपकरणों की दक्षता कम होने के दृष्टिगत उनको Retrofit करने हेतु सक्षम तकनीकी परामर्श लेने हेतु Expert Agency चयनित करते हुये कार्य योजना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। सभी STP में सीवेज की उत्सर्जन मात्रा को सही आकलन करने हुये उत्सर्जन किये जाने के निर्देश दिये गये।

- नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों से प्राप्त होने वाले शेधित जल का उपयोग पूरी क्षमता पर करने हेतु निर्देशित किया गया एवं सिंचाई हेतु आवश्यकता के क्रम में ट्रीटेड वाटर लाईन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
- इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण–2022 में Water Plus Category हेतु इस वर्ष स्वच्छता टीम नौएडा शहर में कहाँ–कहाँ गयी थी उन ड्रेन्स की Actual Report प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
- नौएडा में वर्तमान में जिन ग्रामों में जल/सीवर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है अथवा अपूर्ण हैं उनमें जल/सीवर लाईन डालने हेतु अपनी औचित्यपूर्ण आख्या दिनांक 15.12.2022 तक संकलित कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- गंगाजल :–

  अ) पूर्व में वर्ष 2009 में URNN व नौएडा के मध्य गठित MoU के सापेक्ष 80 Cusec गंगाजल आन्तरिक वितरण परियोजना नौएडा की वर्तमान प्रगति पर महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। सैक्टरों में गंगाजल की आवश्यक उपलब्धता न होने की दशा में इस कार्य को अभी तक पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक को प्रत्येक दशा में कार्य 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्ण कर परियोजना को संचालित करने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये, अन्यथा के अभाव में सम्बन्धित विभाग के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया।

  अ) 37.50 Cusec परियोजना को माह दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को निर्देश दिये गये। शेष कार्यों की Testing करते हुये संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस आशय का पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया।

  गंगाजल मार्च 2023 तक वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- वाटर प्लस कैटगेरी प्राप्त करने हेतु IQVIA द्वारा प्रस्तुत एक्शन प्लान के अनुसार नौएडा के अन्दर समस्त Minor/Medium/Major Drain में त्वरित गति के साथ सुधार प्रक्रिया अपनाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये। NEERI द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के दृष्टिगत आवश्यक अनुपालन करने हेतु सभी विभागों को निर्देशित किया गया।